

2019/50334

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट का

आपका बखतर बत्ती बिला बखतपुर

कृपण ना. की ज़ोर में माता सत्यवती का बू

प्रकरण संख्या 66/19

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	07/12/20	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब न. 1 हेतु एक और अंतिम जवाब दिया जाकर दिनांक 28/12/20 को पेश हो।
	28/12/20	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब न. 1 एक और अंतिम जवाब दिया जाकर दिनांक 12.1.21 को पेश हो।
	12/1/21	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्वेंशन/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 12/1/21 का पेश हो।
	01/02/21	पत्रावली पेश हुई। वकील मादी पक्षकार उपस्थित। पत्रावली पूर्ण अ. 1 दिनांक 18/2/21 को पेश हो।
	18/2/21	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा दौरे/अन्य कारणों के चलते करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 17/3/21 को पेश हो।
	5/3/21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। वकील अपात्री के पक्षकार पर आपत्ती का आवक पेश करते हुए अपने आवक जिनके बारे में कड़गी आवक पेश नहीं किया है तथा वकील अपात्री का आवक पत्रक भिजा जाता है। वकील पक्षकार की पक्षकार पर आपत्ती जिनके साथ पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का आवक

Handwritten signature or mark at the bottom right.

एवं नसीब पक्षकारकी उक्त पार्श्व पत्र पर की गई महसूबत मतत चलेके पश्चात वाड गुप्त आवाजी (व.तं. एल 330, 330, 330 कुल बिना 3 कुल रकबा 1, 3, 4 15 बीघा 2 बिना स्थित ग्राम सिन्दोली तहसील काशी जिला गजपुर के सम्बन्ध में उक्त पक्षों को जारी आवाजी सिन्धोली से वाड के निरीप वन पार्श्व किया जाता है कि वे उक्त वाड गुप्त भूमि की माफ एवं रिमाई की प्रथा स्थिति कलाप रहे। पत्रावली फौजल शुमार होकर कडनमगील कुल वाड के साथ समाप्ता हो।

आज्ञा क्रम 5-3-21 को प्रहरीप
 एवं न्यायालय में सुनाया गया।

(Signature)
 ...